फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

गोपीराम बनाम प्रहलाद वगैरह

मुकदमा नम्बर :– 09/2016 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/10/24	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7/11/24 को पेश होवे
	7/11/24	व. वादी उप. प्रा. पत्र 09 A7 व 13 स्थगित धारा 151 CPC का पेश किया गया। जिसकी नकल [illegible] किया गया [illegible] जाकर [illegible] पत्रावली [illegible] पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 2/12/24 को पेश हो [signature]
	2/12/24	वकील द्वारा आज [illegible] / कार्य [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 15/12/24 को पेश होवे
	18/12/24	व. फ. उप. जवाब/बहस प्रा. पत्र हेतु वास्ते समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 23/12/24 को पेश हो [signature]
	23/12/24	व. फ. उप. जवाब/बहस प्रा. पत्र हेतु वास्ते समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रा. पत्र हेतु दिनांक 27/1/25 को पेश हो [signature]
	27/1/25	व. फ. उप. [illegible] पूर्व के ही आदेश [illegible] कथन के अनुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त तहसीलदार [illegible]

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

जयपुर ग्रामीण)

फर्द अहकाम

गोपीराम बनाम प्रहलाद वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या 09/2016 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक विवादित आराजीयात के वादी व प्रतिवादीगण के मिलकर काश्तकार होने, स्थगन होने, व मौके का भी होने को मद्देनजर रख प्रकाशित होने को कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं होना बताया गया। जिससे अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। ऐसे में वादी का वाद इसी स्तर पर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक क... (कै.स्ट ...) चौमूं जयपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2016

उनवान

गोपीराम पुत्र नारायण जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली,तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
–वादी–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भूरा, जाति रैगर निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. मदनलाल पुत्र भूराराम, जाति बुनकर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
3. शंकर देवी धर्मपत्नि मदनलाल जाति खटीक, निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक :–27.01.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम खेजरोली ए, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में खाता संख्या 647 के खसरा नम्बर 6233, 6237, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर, भूमियां स्थित है। उक्त भूमियां ही विवादग्रस्त आराजीयात् है। उक्त विवादित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की सयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है। उक्त विवादित आराजीयात् भूमि में वादी का 1/6 भाग निहित है तथा शेष भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी भूमि है जिसका आज दिन तक भी किसी भी न्यायालय या सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत तकासमा नही हुआ है तथा सभी खातेदारों ने विवादित आराजीयात को मनबट अनुसार बांट रखा है। वादी स्वयं के हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा वादीगण राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार राज्य सरकार को लगान सरकारी अदा करते आ रहे हैं। वादी द्वारा विवादित आराजीयात के अन्य सहखातेदार अर्थात् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से विवादित आराजीयात को कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत् रुप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जाता रहा तथा वादी के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिवस तक भी विवादित आराजीयात्

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0), चौमूं, जयपुर (मुख्यालय)

का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। वादी द्वारा दिनांक 26.01.2016 को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 से सम्पर्क कर विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत् तकासमा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 उग्र हो गये तथा वादी को विवादित आराजीयात् का विधिवत् तकासमा करने से साफ इन्कार कर दिया जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण सालिम डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात् का कब्जे काश्त के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर विवादित आराजीयात् भूमि में वादीगण का खातेदारी हिस्सा 1/6 भाग का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं के मौका निरीक्षण करने पर पाया गया की मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के भिन्न कब्जे काश्त होने से, स्थगन होने व भूमि माफी मन्दिर से प्रभावित होने से कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादी का वाद तकासमा एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है। लेकिन विवादित भूमि में मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के भिन्न कब्जे काश्त होने से, स्थगन होने व भूमि माफी मन्दिर से प्रभावित होने से उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(मु0 20 7 मुख्यालय) चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2016

उनवान

गोपीराम पुत्र नारायण जाति रैगर, निवासी ग्राम खेजरोली,तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र भूरा, जाति रैगर निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
2. मदनलाल पुत्र भूराराम, जाति बुनकर, निवासी ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
3. शंकर देवी धर्मपत्नि मदनलाल जाति खटीक, निवासी ग्राम खेजरोली तहसील चौमूँ जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूँ, तहसील चौमूँ जिला जयपुर (राज.)।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0:–09/2016

निर्णय दिनांक:–27.01.2025

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खाता संख्या 647 के खसरा नम्बर 6233, 6237, कुल किता 02 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजरोली ए, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में मौके पर वादी व प्रतिवादीगण के भिन्न कब्जे काश्त होने से, स्थगन होने व भूमि माफी मन्दिर से प्रभावित होने से उक्त भूमि का तकासमा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाने योग्य है अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा मुकदमा मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख [illegible] .... को अदा करें बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.01.2025 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0) चौमूँ
[illegible] (ग्रामीण)

मु0सं0–09 / 2016
उनवान–गोपीराम बनाम प्रहलाद वगै0
निर्णय दिनांक: 27.01.2025

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिये स्टाम्प	2	1.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2
2.शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	1	3.प्लीडर की फीस	
4......रूपये पर प्लीडर कह फीस		4.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.कमिशनर की फीस	
6.कमिशनर की फीस		6.आदेशिका की तामिल	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड	3	जोड	2

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:12 IST
Reason: SelfAttested